क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ का प्रावधान

जयपुर (विसं)। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में घोषणा की कि प्रदेश में नॉन-पेचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजेंद्र गुर्जर द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के उत्तर में मंत्री ने बताया कि देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 6 सड़कों के नवीनीकरण और 15 पुलियाओं की मरम्मत के लिए 17.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इनमें से 2 सड़क कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 4 कार्य प्रगति पर हैं। वर्षा और अन्य कारणों से क्षितग्रस्त सड़कों का भी प्राथमिकता के आधार पर नवीनीकरण प्रस्तावित है।मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि देवली-उनियारा क्षेत्र में कुल 52 पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुई थीं, जिनमें से 15 कार्य स्वीकृत किए गए।

इनमें 1 कार्य पूर्ण, 12 प्रगतिरत हैं। शेष 2 कार्यों स्टेट हाईवे-29 से अनवार नगर तथा गुराई से जेल रोड में से एक कार्य को निरस्त कर राशि को दूसरे कार्य में समायोजित करने की अनुशंसा की गई है।

हड़ताल के तीसरे दिन उग्र हुआ बस ऑपरेटरों का आक्रोश

दौसा के महुआ में प्रदर्शनकारियों ने बस ड्राईवर को नीचे उतारकर जूतों की माला पहनाई, तो बीकानेर में परीक्षा केन्द्र नहीं पहुंचने पर छात्राओं के आंसू छलके

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही। सरकार की ओर से वार्ता की कोई पहल नहीं होने के कारण बस ऑपरेटरों का धैर्य जवाब दे रहा है और अब यह आंदोलन शांतिपूर्ण से उग्र रूप अख्तियार करने लगा है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेशभर में करीब 35 हजार बसों के पहिए थमे रहने से आम जनता, परीक्षार्थी और फाल्गुन मेले में जा रहे श्रद्धालु बेहाल है।

वहीं जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर गुरुवार को प्रदर्शन का हिंसक चेहरा सामने आया। हड़ताली ऑपरेटर्स ने जबरन निजी बसें रुकवाई और नियमों की अवहेलना कर बस चलाने वाले चालक-परिचालकों के साथ धक्का-मुक्की की। दौसा के महुआ में प्रदर्शनकारियों ने एक बस कंडक्टर को जबरन नीचे उतारकर जूतों की माला पहना दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

अलवर में भी ऑपरेटरों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

राजधानी जयपुर में निजी बस ऑपरेटर्स ने गुरूवार को नारेबाजी कर विरोध जताया।

इधर खाटू श्याम जी का लक्खी फाल्गुन मेला चल रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बसों की अनुपलब्धता के कारण श्रद्धालुओं को भारी असुविधा हो रही है। दूसरी ओर, होली का पर्व नजदीक होने के कारण घर जाने वाले प्रवासी श्रमिक और यात्री बस अड्डों पर फंसे हुए हैं। बीकानेर के नापासर में हृदयविदारक स्थिति दिखी, जहां परीक्षा केंद्र जाने के लिए साधन न मिलने पर छात्राएं सड़क पर ही फूट-फूटकर रोने लगीं।

ऑल राजस्थान कांटेक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मदन यादव का कहना है कि वे संवाद के पक्षधर हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी ने असंतोष पैदा कर दिया है।

■ सरकार की चुप्पी से लगातार बढ़ रहा है गतिरोध, 35 हजार बसों के पहिए थमने से प्रदेश में हाहाकार

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगें नहीं मानी जातीं,हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल से न केवल जनता परेशान है, बल्कि सरकार को भी टोल और डीजल वैट के रूप में करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।

बस संगठनों का आरोप है कि सरकार वार्ता के बजाय प्रशासनिक दबाव से आंदोलन को कुचलना चाहती है। ऑपरेटरों के अनुसार यह व्यवसाय हजारों परिवारों का आधार है, जिन पर अब संकट मंडरा रहा है।

सदन के गतिरोध पर कांग्रेस की रणनीतिक बैठक आज

जयपुर (विसं)। कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार सुबह आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 10:15 बजे की विपक्ष लॉबी में होगी। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करेंगे। सदन में हाल ही में उपजे गतिरोध और लगातार हो रहे हंगामे को देखते हुए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल सरकार की कार्यशैली, सदन में विपक्ष को बोलने का अवसर न मिलने और विभिन्न जनहित मुद्दों पर चर्चा नहीं होने जैसे विषयों पर अपनी रणनीति तय करेगा। सूत्रों के अनुसार, बैठक में यह भी विचार किया जाएगा कि आगामी कार्यवाही के दौरान कांग्रेस किस तरह सरकार को घेरने की रणनीति अपनाए। विपक्ष राज्य में कानून-व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने सभी विधायकों को समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि एकजुटता का संदेश दिया जा सके। बैठक में सदन के भीतर और बाहर आंदोलन की संभावनाओं पर भी चर्चा हो सकती है।

विधानसभा में गूंजा निजी बसों की हड़ताल का मुद्दा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में बीते 3 दिन से चल रही प्राइवेट बसों की हड़ताल का मामला गुरूवार को विधानसभा में गूंजा। कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला और निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या ने शून्यकाल में सरकार से आग्रह किया कि हड़ताल तत्काल खत्म करवाई जाए। चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि हड़ताल के कारण यात्री, विशेषकर खाटू श्यामजी जाने वाले लोग परेशान हैं। सामान्य दिनों में 35 हजार प्राइवेट बसें चलती हैं, लेकिन फिलहाल केवल 33 प्रतिशत ही बसें ही चल रही हैं। आक्या ने यह भी कहा कि छोटी गाड़ियों पर अवैध तरीके से चालान लगाया जा रहा है, जिससे आम लोग शोषित हो रहे हैं।कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हड़ताल से रोजगार प्रभावित हुआ है। करीब 35 हजार बसों की हड़ताल के कारण 3.50 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। होली का त्यौहार आने वाला है और मजदूर अपने घर नहीं जा पा रहे, मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे।

बराला ने खाटूश्यामजी मेले में दूसरे राज्यों से आए हजारों लोगों की परेशानी का हवाला देते हुए कहा कि टैक्सी वाले भी 70 किलोमीटर के लिए 7000 रुपए ले रहे हैं। उन्होंने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम जनता पर जो बोझ है वह सरकार की अकर्मण्यता का परिणाम है।

विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए बस ऑपरेटर्स से चुपचाप संपर्क किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक वार्ता नहीं हो रही। पहले 23 मांगें थीं, फिर 14 और अब 9 मांगों पर वार्ता हो रही है। बराला ने कहा कि हड़ताल के मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की मांगों में "वन इंडिया वन टैक्स" शामिल है। उन्होंने पूछा कि अगर सरकार "वन नेशन, वन इलेक्शन" और "वन नेशन, वन आधार" जैसी नीतियों की बात कर सकती है, तो आम लोगों को अधिकार देने की बात क्यों नहीं कर सकती।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बदल रहा औद्योगिक परिदृश्य

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को निवेश एवं उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की मंशा है कि प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत संरचनाएं, विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहित विभिन्न नवाचारों से राजस्थान को देश में उद्योग का प्रमुख डेस्टिनेशन बनाया जाए। इसी क्रम में सरकार द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 लाई जाएगी। इस नीति का मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदन किया गया है। इस नीति से राज्य में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही, इससे निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास भी सुनिश्चित होगा।

■ राज्य सरकार जल्द ही औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 लाएगी

इस नीति के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए चार विकास मॉडल निर्धारित किए गए हैं। मॉडल-ए के तहत पूर्णत: रीको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास किया जाएगा। वहीं, मॉडल-बी के अंतर्गत औद्योगिक पार्क के लिए 80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण की जाएगी एवं शेष 20 प्रतिशत भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध होगी। इसी तरह, मॉडल-सी के तहत पार्क के लिए संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था की जाएगी तथा मॉडल-डी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा।

नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी। इस नीति के अंतर्गत प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डवलपर्स को सामान्य अवसंरचना विकास पर 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 100 एकड़ तक के पार्क हेतु 20 करोड़ रुपए, 100 से 250 एकड़ हेतु 30 करोड़ तथा 250 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल हेतु 40 करोड़ रुपए होगी। इस नीति के तहत हरित विकास को बढ़ावा तथा औद्योगिक प्रदूषण को भी कम किया जाएगा, इस हेतु सीईटीपी पर व्यय का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए प्रति पार्क) का प्रावधान किया गया है।

'पारंपरिक उपचार पद्धितयाँ सिर्फ आस्था नहीं, भविष्य की उम्मीद'

हरिद्वार (कासं)। पतंजलि अनुसन्धान संस्थान और पतंजलि विश्विद्यालय की ओर से गुरूवार को 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन "प्लांट्स टू पेशेंट्स सीरीज 4-एथनोफॉर्मोकोलॉजी बियोंड टाइम्स" पूर्ण हुआ। सम्मेलन से विश्व को संदेश दिया गया कि, पारंपरिक उपचार पद्धितयाँ केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक परीक्षण और प्रमाण के माध्यम से भविष्य की वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था का सशक्त आधार बन सकती है।

इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पेरूजिया विश्वविद्यालय, इटली और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एथनोफार्माकोलोजी के प्रेजिडेंट, प्रोफेसर डोमेनिको विटोरियो डेलफिनो, कोट दअज़ूर विश्वविद्यालय, फ्रांस से प्रोफेसर लुई-फेलिक्स नॉटियस, ग्राज विश्विद्यालय, आस्ट्रिया से प्रोफेसर रुडोल्फ बाउर, नीदरलैंड्स से एल्सेवियर प्रकाशन की सीनियर पब्लिशर, प्रोफेसर ऐन मैरी शोनी-पोरडॉन, माए फ़ा लुआंग विश्विद्यालय, थाईलैंड से प्रोफेसर तिडारैट डुआंग्योट, सोसाइटी फॉर एथनोफार्माकोलोजी के संस्थापक पुलक के. मुखर्जी, एम्स, कल्याणी से प्रोफेसर वाई. के. गुप्ता, एम्स, ऋषिकेश की प्रोफेसर मीनू सिंह और उनके साथ प्रोफेसर पुनीत धामिजा, , नई दिल्ली से प्रोफेसर (मेजर) एम. डी. रे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से प्रोफेसर विक्रम गोटा, एवं प्रोफेसर संजय जाचक शरीक हुए।

इन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और चिकित्सा विशेषज्ञों ने आयुर्वेद, आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा के समन्वय पर मंथन किया।

स्वामी रामदेव ने कहा कि शोध और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित चिकित्सा विज्ञान और वैदिक सनातन ज्ञान का संगम ही भविष्य की चिकित्सा पद्धित की दिशा सुनिश्चित कर सकता है। हजारों वर्षों से संरक्षित भारतीय चिकित्सा ज्ञान को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करना समय की आवश्यकता है और पतंजलि एक वैश्विक केंद्र के रूप में प्रमाण-आधारित भारतीय चिकित्सा को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि विश्वभर में आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा पद्धित के साथ ही यूनानी, मिस्त्र, ग्रीक, तिब्बती, चीनी, जापानी, कोरियाई चिकित्सा पद्धित विद्यमान है, आवश्यकता है इन चिकित्सा पद्धितयों को शोध और साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने की, जिससे एक होलिस्टिक और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल और ग्लोबल हेल्थ का एक सशक्त माध्यम बन सके जिससे जनमानस को रोगों के लिए एक सुगम, सुरक्षित, सुलभ समाधान मिले।

पतंजलि के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अनुराग वार्ष्णेय ने कहा कि जब प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखा जाता है, तब वह और अधिक सशक्त होकर उभरता है। पतंजलि के प्रयास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक प्रतिष्ठा दिलाने की दिशा में निरंतर अग्रसर हैं। यह सम्मेलन केवल विचारों का आदान-प्रदान नहीं, अपितु भविष्य की स्वास्थ्य क्रांति का प्रारंभिक उद्घोष है, जहां 'प्लांट्स टू पेशेंट्स' की अवधारणा वास्तव में साकार हो रही है।

नाम परिवर्तन

मैं रीना मिगलानी, पत्नी श्री राजीव मिगलानी, निवासी 303ए, गुरूनानकपुरा, राजापार्क, आदर्श नगर जयपुर (राज.) शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम रीना सुखीजा था विवाह उपरान्त मैने मेरा नाम रीना सुखीजा की स्थान पर रीमा मिगलानी परिवर्तित कर लिया है। भविष्य में मुझे रीना मिगलानी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

मैं मनीष कुमार पुत्र करतार सिंह निवासी किशनगढबास वार्ड नंबर 3 जिला खैरथल तिजारा मैंने अपना नाम मनीष कुमार से बदलकर मनीष धांधी पुत्र करतार सिंह रख लिया है भविष्य में मुझे मनीष धांधी के नाम से जाना जाएं।

Army No. 15678381H हवलदार बिनय कुमार पता ग्राम मुगरिहा पोस्ट बेल्हूपुर जिला औरेया, उत्तर प्रदेश। मेरी पत्नी सुशीला देवी का नाम त्रुटिव SUSHILA YADAV हो गया है कि कानूनी तौर पर गलत है। आधार कार्ड के अनुसार सभी प्रयोजनों के लिए सुशीला यादव SUSHILA YADAV के स्थान पर सही नाम सुशीला देवी SUSHEELA DEVI घोषित करें।

मैंने अपना नाम सुनील कुमार मीणा से बदलकर सुनील निठार पुत्र श्री जगमोहन लाल कर लिया है। भविष्य में मुझे सुनील निठार नाम से जाना पहचाना जावें। पता 263 निठार निठार भुसावर भरतपुर, राजस्थान-321409

It is for general information that I Ajay S/o Ratan Singh R/o Deolen PO Devlane Dist. Karauli Rajasthan 322254, declare that name of mine has been wrongly written as Mahendra Singh in my PAN Card No. JQZP55399C. The actual name of mine as Ajay respectively. Which may be amended accordingly.

I have changed my Name from Trilok Chand Gupta to Trilok Chand for all future purposes. Trilok Chand s/o Shree Sitaram Gupta R/o 47, near Government School. Village Nangal Susavtan. Tehsil Amer, Jaipur-302028

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य हरी सिंह पुत्र स्व. श्री प्रभु सिंह, निवासी प्लॉट नं. 125 घनश्याम विहार, बजरी मंडी रोड, पांच्यावाला जयपुर (राज.) के निवासी है मेरे अभिभाष्य का पुत्र अजीत सिंह व उसकी पत्नी गुड्डी देवी पत्नी अजीत सिंह उनके कहने सुनने मे नहीं है मेरा अभिभाष्य अपने परिवार के साथ अलग रहता है। मेरे अभिभाष्य की चल-अचल सम्पत्ति में इनका या इनके वारिसान का कोई हक अधिकार नहीं होगा। मेरे अभिभाष्य का इनसे कोई भी व्यापारीक व सामाजिक व्यवहार नहीं है इसलिये मेरे अभिभाष्य की चल अचल सम्पत्ति व व्यापार से इनका किसी भी प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है ना ही भविष्य मे होगा। जो कोई भी इनके साथ संव्यवहार करेगा वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा। मेरे अभिभाष्य की इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
दिनांक-26.02.2026 (अरविन्द बालौत) एडवोकेट मो.नं. 9928720001

आम सूचना सर्वसाधारण को मेरे अभिभाष्यगण श्री फरीद खान पुत्र श्री अब्दुल हलीम एवं श्रीमती नैमु निशा पत्नी श्री फरीद खान निवासीयान 107, नारायणपुरी, झोटवाडा, जयपुर (राज.) की ओर से सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण का पुत्र अब्दुल मन्नान गलत संगत में पड गया है एवं नशा करता है एवं मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नहीं है, मनमर्जी करता है जिस कारण मेरे अभिभाष्यगण ने अपने पुत्र अब्दुल मन्नान को सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक सम्बन्ध समाप्त कर उसको अपनी जाति जिन्दगी, जायदाद एवं समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति मेरे अभिभाष्यगण के पुत्र अब्दुल मन्नान से किसी प्रकार का कोई लेनदेन, व्यापार, संव्यवहार आदि करता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी, मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।
(हाकम अली) एडवोकेट, मो.नं. 8559933499

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर-16) (राजस्व-द्वितीय प्रकोष्ठ)
क्रमांक : एफ-6 ( ) उपा.राजस्व-द्वितीय/ला.प्र./ननिज/2026/801 दिनांक : 25.02.2026

सार्वजनिक सूचना मूल भूखण्ड संख्या सी-95, अर्जुन लाल सेठी योजना, जयपुर का नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा श्री श्याम बिहारी पुत्र श्री बद्रीनारायण के नाम से क्षेत्रफल 260.41 वर्गगज का आवंटन एवं पट्टा जारी किया गया। तत्पश्चात् नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का श्री सन्तोष जूनीवाल के नाम से नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया। डॉ. सन्तोष चन्द्र जूनीवाल की मृत्यु उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोटेरी प्रमाणित वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, निर्धारित अण्डरटेकिंग, वसीयत बाबत् अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम जयपुर द्वारा श्री संजय जूनीवाल पुत्र स्व. श्री सन्तोष चन्द्र जूनीवाल के पक्ष में उक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 260.41 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया जाना है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी। (अशोक कुमार शर्मा) R.A.S.
उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय) नगर निगम जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

COLLEGE OF AGRICULTURE
(S.K.N. Agriculture University-Jobner)
Bhusawar – Bharatpur (Rajasthan)-321406
No. :- F.( )/Accts./Dean-COAB/2026/979-82 Date :- 18/02/2026

NOTICE INVITING BID

Bid for open e-tender regarding Solar System Hybrid 40KW are invited from interested bidders up to 05.00 AM, 27.02.2026 and Bid opening date 28.02.2026 at 11.00 AM and other particulars of the bid may be visited on the procurement portal **http://sppp.raj.nic.in** & **http://eproc.rajasthan.gov.in** of the state; **www.sknau.ac.in** University website. **UBN is SKN2526GLOB00474**
Raj.Samwad/C/25/21347 DEAN

कार्यालय नगर पालिका दूदू, जिला जयपुर
क्रमांक-न.पा.दु./2025-26/1137 दिनांक-26.02.2026

लोक सूचना

श्री श्योजीराम वर्मा पुत्र रामदेव रैगर, जाति रैगर, निवासी रैगर मौहल्ला दतोब टोडारसिंह टोंक, राजस्थान 304502 ने नगर पालिका दूदू में निचे उल्लिखित भूमि का कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन (आवासीय) हेतु पत्रावली दर्ज कराई है जिसके अनुसार विवरण निम्न प्रकार है।

तहसील दूदू, जिला	ग्राम बिजोलाव, पटवार	खसरा नम्बर 145	रकबा 1.0300 हैक्टेयर
जयपुर (राज.)	हल्का बिजोलाव	146, 147	(10300 वर्गमीटर)

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि 90-क के प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिघृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के अन्दर मयाद दस्तावेजों सहित लिखित में आपत्ति कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावें। बाद मयाद गुजरने आपत्ति मान्य नहीं होगी।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 26.02.2026 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका दूदू जिला जयपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर-15)
क्रमांक :- जसअ/2025/519 दिनांकः 24.02.2026

ई-निविदा सूचना सं. अधि0 अभि0 (मु0) 124 से 125/2025-26

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मु0) से सम्बन्धित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com, eproc.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal Government of Rajasthan की वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in के UBN No:- JMC2526GSOB02891 एवं JMC2526GSOB02892 पर देखी जा सकती है।
अधिशाषी अभियन्ता (मु0)
राज.संवाद/सी/25/21425 नगर निगम जयपुर

कार्यालय चुनाव अधिकारी-केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव वर्ष 2025-26
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान,
अस्थाई कार्यालय: 5-चंदन बाड़ी, भू-तल, खन्ना टावर, गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर -302017

चुनाव अधिसूचना/कार्यक्रम

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, 13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर पंजीयन क्रमांक 290/80-81 के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष (प्रत्येक एक पद) के चुनाव वर्ष 2025-26 सोसायटी संविधान अनुसार करवाने हेतु पूर्व में दिनांक 15.11.2025, 13.12.2025 एवं 06.01.2026 को जारी चुनाव कार्यक्रम/अधिसूचना को अपरिहार्य कारणों से संशोधित करते हुए विस्तृत चुनाव अधिसूचना/कार्यक्रम पत्र क्रमांक EO/SOCIETY/2026/07 एवं 08 दिनांक 07.02.2026 को जारी की गई थी, जो सोसायटी की अधिकृत वेबसाइट www.https://dramdkrsociety.com/index.php?page=news पर उपलब्ध है। चुनाव हेतु अस्थाई मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 27.02.2026, अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 15.04.2026 एवं मतदान दिनांक 10.05.2026 को चुनाव अधिसूचना अनुसार होगा। इस चुनाव से सम्बन्धित अन्य जानकारियां भी समय - समय पर वेबसाइट www.dramdkrsociety.com पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। चुनाव में प्रयोग ली जाने वाली अस्थाई/अन्तिम मतदाता सूची वेबसाइट www.dramdkrsociety.com पर उपलब्ध रहेगी। कोई भी मतदाता अपनी जानकारी अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज कर देख सकता है। मतदाता का मोबाइल नंबर यदि पहले से दर्ज नहीं है अथवा मतदाता के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर आदि की सूचना में किसी प्रकार का बदलाव चाहता है तो संबंधित प्रार्थना-पत्र मय सरकार द्वारा जारी किसी भी पहचान-पत्र की प्रति के साथ ईमेल dramdkr.election202526@gmail.com कर सकता है या व्यक्तिश/डाक द्वारा उपरोक्त पत्ते पर निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर सकता है।
दिनांक : 26.02.2026 (मंगल मोरवाल) चुनाव अधिकारी, 9166078989

प्रपत्र संख्या 7 देखिए नियम 21

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/Jaipur-I/Trust/2026/1530

चूंकि प्रार्थी श्री PANKAJ KUMAR PAREEK, WARD NO- 22 MORIJA, THE CHOMU, JAIPUR-303805 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास राजबद्ध कार्मिक समूह समिति, Opposite Government School, Kheda Mahapura, Murlipura, Jaipur-302039 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है। में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24/04/2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग, जयपुर प्रथम

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना
राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अध्याय-5 में किराए के पुनरीक्षण एवं बेदखली बाबत प्रार्थना-पत्र
न्यायालयः किराया अधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय
राकेश रावत विरूद्ध पवन खूंटेटा
अर्जी संख्या - 32/2024

नाम-पवन खूंटेटा पुत्र स्व. श्री दामोदर लाल खूंटा जाति... पता निवासी मकान नम्बर-19 शिव रेजीडेन्सी, लक्ष्मण रेखा विस्तार, अम्बे होस्पिटल के पास, निवारू रोड, जयपुर

प्रार्थी ने आपके विरुद्ध किराये के पुनरीक्षण/बेदखली के लिए राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के तहत एक अर्जी प्रस्तुत की है जो पंजीयन कर ली गई है। आपको इस न्यायालय में तारीख 05 माह 02 सन् 26 को 10.30 ए.एम. बजे उक्त अर्जी का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए चेतावनी दी जाती है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसको सम्यक अनुदेश दिए गए हो और जो इस अर्जी से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें।
आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उक्त दिन या इससे पूर्व 30/45 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य नोटिस की तामील होने की तारीख से दाखिल करें और उक्त तारीख पर या तामील होने के 30/45 दिन के भीतर ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है, पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई को दावा का प्रतिदावा आधारित है। साथ ही यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में न हो, अपनी प्रतिरक्षा, मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हो, आप ऐसे दस्तावेज उल्लिखित समय के मय उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपने प्रतिरक्षा के और जवाब के साथ उन सभी साक्षीगण के एवं स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करें जो आपकी प्रतिरक्षा का समर्थन करते हैं तथा उन दस्तावेजों का और उस साक्ष्य का ब्यौरेवार वर्णन शपथ पत्र में किया जावें। साथ ही जिन दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित कराना हो उन पर लाल स्याही से प्रदर्श डालकर प्रस्तुत करें और शपथ पत्र पर ए से बी, सी से डी हस्ताक्षर इत्यादि या लिखावट आदि जिसको भी प्रमाणित कराना है, का उल्लेख भी किया जावें।
आपको पुनः आगाह किया जाता है कि उक्त नोटिस की तामील होने के 30/45 दिन के भीतर आप अपना प्रतिरक्षा उपरोक्त प्रवास में न्यायालय में अंकित करें या उक्त तारीख पेशी पर प्रस्तुत कर दें। अन्यथा आपकी प्रतिरक्षा राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के तहत समाप्त हो जायेगी।
आपको यह भी आगाह किया जाता है कि तारीख पेशी से पूर्व यदि आप द्वारा प्रतिरक्षा हेतु जवाब अर्जी शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते है तो न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थी के अधिवक्ता श्री....को उक्त प्रतिरक्षा की और जवाब दावा शपथ पत्रों की, दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों की प्रति उपलब्ध करा दें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
नोटिस आज दिनांक 22.10.21 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।
मोहर अदालत
आज्ञा से-किराया अधिकरण
जयपुर महानगर द्वितीय

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड (राजस्थान)
लोकमान्य तिलक जनकल्याण शिक्षण संस्थान बनाम ओमसिंह व अन्य
वाद बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
वाद संख्या 229/2025

बनाम-ओमसिंह पुत्र मंगेज सिंह, कमोद कंवर पुत्री मंगजे सिंह, अंतर कंवर पुत्री पुत्री मंगेज सिंह, अनिता कंवर पुत्री रामलाल सिंह, आनन्द कंवर पुत्री ओनाड सिंह, उम्मेद कंवर पुत्री करण सिंह, ओम कंवर पत्नी हजारीसिंह, धीरसिंह, दिलीप सिंह पुत्रान ओनाड सिंह, केमिता कंवर पुत्री ओनाड सिंह, कानसिंह पुत्र मंगेज सिंह, कौशल्या कंवर पुत्री करण सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्र जय सिंह, गीता कंवर पुत्री रामलाल सिंह, गोपाल सिंह पुत्र जयसिंह, ज्ञानकंवर पुत्री रामलाल सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह, नारायण सिंह पुत्र सांगसिंह, निर्मला पत्नी राजेन्द्र सिंह, निशान्त सिंह पुत्र प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह पुत्र सांगसिंह, प्रतिभा पुत्री प्रताप सिंह, पानकंवर पुत्री रामलाल सिंह, बलवीर सिंह पुत्र हजारी सिंह, बाबूसिंह पुत्र करण सिंह, बीना पुत्री हजारी सिंह, मंजू पुत्री रोहिताश सिंह, महिपाल सिंह पुत्र हजारी सिंह, रूकमण कंवर पुत्री मंगजे सिंह, रेखा कंवर पुत्री करण सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र रामलाल सिंह, रूपसिंह पुत्र सांगसिंह, रतनसिंह पुत्र रामसिंह, अंजू कंवर, सूरज कंवर पुत्रीयान रामसिंह, राजकुमार सिंह पुत्र हजारी सिंह, ललिता कंवर पुत्री ओनाड सिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्र करण सिंह लेखराज सिंह पुत्र करण सिंह, विरेन्द्र सिंह पुत्र रोहिताश सिंह, शांति कंवर पत्नी रामलाल सिंह, शोभाग कंवर पत्नी प्रताप सिंह, सदा कंवर पुत्री मंगेज सिंह, सुनिता कंवर पुत्री रामलाल सिंह, संतोष सिंह पुत्र करण सिंह, संजू कंवर पुत्री रोहिताश सिंह, सुमन कंवर पुत्री नओनाड सिंह, सरमेश कंवर पुत्री ओनाड सिंह, सायर कंवर पुत्री रामलाल सिंह, हनुमान सिंह पुत्र करण सिंह, हरिसिंह पुत्र रामलाल सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र जय सिंह, संतोष कंवर पुत्री जयसिंह समस्त जाति राजपूत, समस्त निवासी ढाणी कीरतपुरा ग्राम पाथरेडी, तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान ममता देवी पत्नी मनोज यादव जाति अहीर निवासी पाथरेडी तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड राज. आपके विरूद्ध उपरोक्त के लिए वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 09.03.2026 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 26.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
उपखण्ड अधिकारी, ग्राम पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

राजस्थान राजपत्र विशेषांक साधिकार प्रकाशित | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary Published by Authority
फाल्गुन 04, सोमवार, शाके 1947- फरवरी 23, 2026
Phalguna 04, Monday, Saka 1947- February 23, 2026

भाग-1(ख)
महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 11, 2026

संख्याः22/भू.अ./ज.स./2023/202-206:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रामगढ एंव महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना (एन.जी.बी. लिंक पैकेज।।।) के अन्तर्गत गलवा पंप हाऊस एंव गलवा बांध से बीसलपुर बांध (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.) तक फीडर निर्माण में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., पी.आई.यू. टोंक प्रथम को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एंव राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) REV-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नैनवा/अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली होगे।

विवरण

रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.) में आने वाली भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत् विवरण-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.)	भैरूपुरा	गंभीरा	नैनवा	बुन्दी	उपखण्ड अधिकारी नैनवाली)
2		पांडोला	सुवानिया			
3		धानुगांव	सुवानिया			
4		सुंथली	सुवानिया			
5		बालागढ़	बालुन्दा	नगरफोर्ट	टोंक	अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली)
6		बालुन्दा	बालुन्दा			
7		सतवाडा	बालुन्दा			
8		गुराई	गुराई			
9		खेडा बालाजी	गुराई			
10		रायपुरा	गुराई			
11		संग्रामपुरा	गुराई			
12		गुलाबपुरा	ख्वासपुरा	दूनी		
13		राजेन्द्रपुरा	ख्वासपुरा			
14		रामपुरा	ख्वासपुरा			
15		चकआंवा	ख्वासपुरा			
16		कनवाडा	कनवाडा			
17		संग्रामगंज	टोकरावास			
18		टोंकरावास बुन्दी	टोकरावास			
19		टोकरावास उनियारा	टोकरावास			
20		ठिकरियाकलां	चन्दवाड			
21		बांस लक्ष्मणा	पनवाड़	देवली		

फार्म-2
देखे नियम-5
पार्ट - B
सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना
सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	महाप्रबंधक आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल. पी.आई.यू. टोंक-प्रथम
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण (RD 9.6 K.M. to 40.6 K.M.) तहसील नैनवा जिला बुन्दी एवं तहसील दूनी, देवली, नगरफोर्ट जिला टोंक योजनान्तर्गत कुल क्षेत्रफल 516.227 हैक्ट. भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्येश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अनतर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और ध्या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना के लिए होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नही है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रिती के साथ अनेचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना) विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारण प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ)	इस अवधि के दौरान इस आषय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शुन्य हो जायेगी।	हा
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी	आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल. पी.आई.यू. टोंक-प्रथम

महेश कुमार राठी,
उप सचिव एंव अधी. अभि. (लैण्ड बैंक)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।
राज.संवाद/सी/25/21446